

## सेंडाई फ्रेमवर्क और DRR के प्रतीभारत की प्रतिबिद्धता

### प्रलिमिस के लिये:

**सेंडाई फ्रेमवर्क, 2015, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र**, CDRI, DRR के प्रतीभारत की प्रतिबिद्धता, G20 आपदा जोखमि न्यूनीकरण (DRR), सतत विकास लक्ष्य

### मेन्स के लिये:

वैश्विक आपदा जोखमि न्यूनीकरण में भारत की भूमिका, आपदा जोखमि न्यूनीकरण के लिये पहल, DRR में भारत के लिये प्रमुख चुनौतियाँ, आपदा जोखमि न्यूनीकरण के लिये प्रमुख समतिकी सफारियाँ।

**स्रोत: द हंडि**

### चर्चा में क्यों?

ब्राजील के बेलम में G20 आपदा जोखमि न्यूनीकरण (डिजिटर रसिक रडिक्सन-DRR) कार्य समूह मंत्रालयीय सम्मेलन में वैश्विक आपदा जोखमि न्यूनीकरण (DRR) पहलों के प्रतीभारत की अटूट प्रतिबिद्धता पर बल दिया गया।

- बैठक में वर्ष 2015 का सेंडाई फ्रेमवर्क के प्रतीभारत की प्रतिबिद्धता पर ज़ोर दिया गया, जिसका उद्देश्य आपदा जोखमि एवं कृष्टिको कम करना है।

### नोट:

- G20 देशों द्वारा गठित G20 आपदा जोखमि न्यूनीकरण (DRR) कार्य समूह का उद्देश्य सार्वजनिक और नजीकी क्षेत्र के नविश नरिमाण और नीति नरिमाण में जोखमि न्यूनीकरण उपायों को एकीकृत करना है, ताकि भौजूदा जोखमि को कम किया जा सके, नए जोखमि के नरिमाण को रोका जा सके तथा अंततः लचीली अरथव्यवस्थाओं, समाजों एवं प्राकृतिक प्रणालियों का नरिमाण किया जा सके।

### सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) क्या है?

- परचिय: यह एक संयुक्त राष्ट्र समर्थित ढाँचा है, जो बेहतर तैयारी, आपदा जोखमि वित्तिपोषण और सतत विकास जैसे उपायों के माध्यम से आपदा जोखमियों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - इसे वर्ष 2015 में सेंडाई, मधिगी, जापान में आयोजित आपदा जोखमि न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था।
    - यह हयोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (HFA) 2005-2015: आपदाओं के प्रतीराष्ट्रीय और सामुदायिक लचीलापन पर केंद्रित है।
    - आपदा जोखमि को कम करने में प्राथमिक भूमिका राज्य की है, लेकिन यह ज़मिमेदारी स्थानीय सरकार, नजीकी क्षेत्र और अन्य हतिधारकों सहित अन्य हतिधारकों के साथ साझा की जानी चाहयि।
- कार्यान्वयन संगठन: संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखमि न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) को सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन, अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा में सहायता करने का कार्य सौंपा गया है।
- एजेंडा 2030 में भूमिका: सेंडाई फ्रेमवर्क अन्य एजेंडा 2030 समझौतों के साथ मिलकर कार्य करता है, जिसमें [परसि समझौता \(2015\)](#), विकास के लिये वित्तिपोषण पर अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा (2015), न्यू अरबन एजेंडा और अंततः सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं।

## नोट:

- हयोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (HFA) 2005 और 2015 के बीच आपदा जोखमि न्यूनीकरण प्रयासों के लिये वैश्विक बलूपरिटि था। इसे वर्ष 2005 में कोबे, हयोगो, जापान में आयोजित आपदा न्यूनीकरण पर दूसरे विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था।
  - वर्ष 1994 में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर पहला विश्व सम्मेलन योकोहामा, जापान में आयोजित किया गया था।
- इसका लक्ष्य वर्ष 2015 तक आपदा से होने वाली कृष्टि, जीवन के साथ-साथ समुदायों तथा देशों की सामाजिक, आर्थिक एवं प्रयावरणीय प्रसिंपत्तयों को होने वाली कृष्टि को भी कम करना है।

## DRR पहल में भारत की क्या भूमिका रही है?

- वैश्विक स्तर:
  - G20: वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत ने आपदा जोखमि न्यूनीकरण कार्य समूह के गठन की पहल की, जो आपदा समुत्थान (Disaster Resilience) के लिये वैश्विक सहयोग में एक मील का पत्थर साबित होगा।
    - G20 की अध्यक्षता में भारत ने पाँच प्राथमिकताओं के आधार पर इस मुद्दे पर अपना सक्रिय दृष्टिकोण व्यक्त किया है।
      - पूर्व चेतावनी प्रणालीयाँ
      - आपदा-रोधी अवसंरचना
    - आपदा जोखमि न्यूनीकरण वित्तपोषण
    - रक्षित रेजिलिएशन
    - प्रकृतिआधारित समाधान
  - आपदा रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन (CDRI): भारत के नेतृत्व में CDRI आपदा रोधी अवसंरचना के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - अब इसमें 40 देश और सात अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं।
  - द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारी: ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय संवाद, वैश्विक आपदा जोखमि न्यूनीकरण नीतियों को आकार देने में भारत के बढ़ते प्रभाव को प्रदर्शित करती है।
  - एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (ADPC): ADPC एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखमि न्यूनीकरण तथा जलवायु लंबीलेपन पर केंद्रित है। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिये एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (ADPC) के अध्यक्ष का पदभार संभाला।
    - इसकी स्थापना भारत और आठ फ़ोरेसी देशों: बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फ़िलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड द्वारा की गई थी।
  - राष्ट्रीय स्तर:
    - आपदा प्रबंधन अधनियम 2005: आपदाओं और इससे जुड़े अन्य मामलों के कुशल प्रबंधन के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आपदा प्रबंधन अधनियम पारित किया गया था।
    - NDMA का औपचारिक गठन 27 सितंबर, 2006 को आपदा प्रबंधन अधनियम, 2005 के अनुसार किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और नौ अन्य सदस्य थे तथा एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था।
      - राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) आपदा प्रतिक्रिया के लिये समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा त्वरित प्रतिक्रिया बल है। इसका गठन वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधनियम, 2005 के तहत प्राकृतिक और मानव नियन्त्रित आपदाओं के लिये विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से किया गया था।
    - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों, ज़िला प्राधिकरणों और स्थानीय स्वशासन सहित विभिन्न हतिधारकों की भूमिकाओं और ज़मीदारियों को प्रभासित करती है।
      - वर्ष 2016 की NDMP विशेष की पहली राष्ट्रीय योजना थी, जो सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ संपृष्ठ रूप से संरेखित थी। संशोधित NDMP वर्ष 2019 में पेश किया गया था।

## DRR में भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- जोखमि प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर तैयारियों में, खासकर बड़े भूकंप और बाढ़ जैसी भयावह आपदाओं के लिये, महत्वपूर्ण अंतराल है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों और हतिधारकों के बीच खराब समन्वय आपदा प्रतिक्रिया एवं पुनर्प्राप्ति में अक्षमता का कारण बन सकता है।
- भारत की आपदा जोखमि प्रबंधन क्षमता को इसके विशेष जनसंख्या के कारण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2030 तक दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत में चरम मौसम और प्राकृतिक आपदाओं का सबसे अधिक जोखमि होने की संभावना है।
- कई क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे की कमी है, जिससे अधिक नुकसान और कृष्टि होती है। पूर्वोत्तर भूकंप से सबसे अधिक जोखमि में है तथा यहाँ भूकंपीय रूप से सुरक्षित बुनियादी ढाँचे और भवनों का अभाव है। यह भूस्खलन, बाढ़ और कटाव के प्रति भी संवेदनशील है।

- जनता में प्रायः जागरूकता और तैयारी की कमी होती है, जिससे प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है।
- आपदा प्रबंधन के लिये वित्तीय और मानव संसाधन अक्सर अप्रयाप्त होते हैं, जिससे जोखमि न्यूनीकरण उपायों का कार्यान्वयन प्रभावति होता है।

## 1 OUTCOME

The substantial reduction of disaster risk and losses in lives, livelihoods and health and in the economic, physical, social, cultural and environmental assets of persons, businesses, communities and countries

## 1 GOAL

Prevent new and reduce existing disaster risk through the implementation of integrated and inclusive economic, structural, legal, social, health, cultural, educational, environmental, technological, political and institutional measures that prevent and reduce hazard exposure and vulnerability to disaster, increase preparedness for response and recovery, and thus strengthen resilience

## 4 PRIORITIES

Understanding disaster risk

Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk

Investing in disaster risk reduction for resilience

Enhancing disaster preparedness for effective response, and to “Build Back Better” in recovery, rehabilitation and reconstruction

## 7 TARGETS

### To Decrease

↓ DISASTER MORTALITY BY 2030

↓ NUMBER OF AFFECTED PEOPLE BY 2030

↓ ECONOMIC LOSS BY 2030

↓ INFRASTRUCTURE DAMAGE BY 2030

### To Increase

↑ DRR NATIONAL/LOCAL STRATEGIES BY 2020

↑ INTERNATIONAL COOPERATION BY 2030

↑ EWS AND DR INFORMATION BY 2030

II

## आपदा जोखमि न्यूनीकरण के लिये प्रमुख समतिकी सफिरशिं क्या हैं?

- आपदा प्रबंधन और राहत 2019 के लिये केंद्रीय सहायता पर स्थायी समतिकी रपोर्ट:
  - राहत का पैमाना: सभी प्रमुख आपदा विषय को कवर करने के लिये राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के मानदंडों का वसितार किया जाएगा।
  - आपदा न्यूनीकरण निधि: आपदा-प्रबंधन राज्यों में स्थायी न्यूनीकरण उपाय करने के लिये एक अलग आपदा न्यूनीकरण निधिका संचालन किया जाएगा।
  - वित्तीय तंत्र: केन्द्र प्रायोजनि निधियों का 10% विशेष रूप से कृष्टग्रस्त संरचनाओं की स्थायी बहाली के लिये निधारति किया जाएगा।
- द्वितीय ARC द्वारा अनुशंसित सुधार:
  - दीर्घकालिक न्यूनीकरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिये ज़िला आपदा प्रबंधन योजना का सुझाव दिया गया।
  - संविधान में आपदा के लिये अलग प्रावधान।
  - आपदा प्रबंधन को शक्षिष पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामलि किया जाना चाहयि।
  - आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू की जाएगी।
  - राज्य सरकारों को आपदा/संकट प्रबंधन की प्राथमिकि ज़मिमेदारी संभालनी चाहयि, तथा केंद्र द्वारा सरकार सहयोग प्रदान किया जाना चाहयि।

प्रश्न: वैश्विक आपदा जोखमि न्यूनीकरण में भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिये, विशेष रूप से G20 द्वाँचे के माध्यम से, तथा मूल्यांकन कीजिये कि इसकी प्राथमिकताएँ सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-30 के साथ कसि प्रकार संरेखति हैं। घरेलू स्तर पर प्रभावी आपदा जोखमि न्यूनीकरण को लागू करने में भारत को कनि चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

## प्रश्नों का उत्तर:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कसि एक समूह में चारों देश G-20 के सदस्य हैं? (2020)

- (a) अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की
- (b) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूज़ीलैंड
- (c) ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब और वियतनाम
- (d) इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया

उत्तर: (a)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sendai-framework-and-india-s-commitment-to-drr>

